इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 63] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 31 जनवरी 2014—माघ 11, शक 1935

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 31 जनवरी 2014

क्र. 761-40-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 30 जनवरी 2014 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २ सन् २०१४

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-२) अधिनियम, २०१४

[दिनांक ३० जनवरी, २०१४ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक ३१ जनवरी, २०१४ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

३१ मार्च, २००० को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर उन रकमों से, जो उन सेवाओं के लिये और उस वर्ष के लिये मंजूर की गई थी, अधिक व्यय हुई रकमों की पूर्ति करने के लिये मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से धन के विनियोग को प्राधिकृत करने के लिये उपबंध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-२) अधिनियम, २०१४ है.

३१ मार्च, २००० को समाप्त हुए वर्ष के कतिपय अधिक व्यय की पूर्ति करने के लिये मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से रु. १५,८४,९३,७८,८८९ का दिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट वे राशियां, जिनका कुल योग रुपये एक हजार पाँच सौ चौरासी करोड़ तिरानवे लाख अठहत्तर हजार आठ सौ नवासी होता है, उक्त अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं की बाबत् प्रभारों को चुकाने के लिये ३१ मार्च, २००० को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान उन रकमों से, अधिक व्यय हुई रकमों की पूर्ति करने के लिये दी और उपयोजित की जाने के लिये प्राधिकृत की गई समझी जायेंगी.

विनियोग.

३. इस अधिनियम के अधीन मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी और उपयोजित की जाने के लिये प्राधिकृत की गई समझी गई राशियां, अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिये ३१ मार्च, २००० को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के संबंध में विनियोजित की गई समझी जाएंगी.

अनुसूची

(धारा २ और ३ देखिए)

(१) अनुदान क्रमांक	(२) सेवायें और प्रयोजन		(३) आधिक्य मतदत्त	(३) आधिक्य भारित	(३) आधिक्य योग
			रुपये	रुपये	रुपये
	लोक ऋण (वित्त)	पूंजीगत		१०,२६,६९,४६,१२४	१०,२६,६९,४६,१२४
३.	पुलिस				
		पूंजीगत	९९,३४,०००		९९,३४,०००
६.	वित्त विभाग				
		राजस्व		१५,९२,६९१	१५,९२,६९१
१४.	पशुपालन (डेयरी) विभाग				
		राजस्व	२१,४२,४६५		२१,४२,४६५
२१.	आवास एवं पर्यावरण विभाग				
		पूंजीगत		३,७५,३५५	३,७५,३५५

(१)	(२)		(३)		
			रुपये	**रुपये**	रुपये
२३.	जल संसाधन विभाग				
		राजस्व		**७३,२३५**	७३,२३५
२३.	जल संसाधन विभाग				
		पूंजीगत	४,४३,०१,५४२		४,४३,०१,५४२
२४.	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल				
		राजस्व		**८,३७,१६४**	८,३७,१६४
२७.	स्कूल शिक्षा				
		राजस्व	४,५३,४९,२६,११९		४,५३,४९,२६,११९
३०.	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय				
		राजस्व		**१४,६५४**	१४,६५४
४४.	उच्च शिक्षा				
		राजस्व	९८,१५,१३,९५८		९८,१५,१३,९५८
५०.	बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग				
		राजस्व	८,५२,१३४		८,५२,१३४
५९.	१०वां वित्त आयोग (स्कूल शिक्षा)				
		राजस्व	४२,२०,०००		४२,२०,०००
६०.	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग				
		पूंजीगत	३९,७८७		३९,७८७
६९.	नगरीय प्रशासन एवं विकास				
		पूंजीगत	१,६०,०००		१,६०,०००
७५.	१०वां वित्त आयोग (जेल)				
		पूंजीगत	९,७३,४४६		९,७३,४४६
८९.	लोक निर्माण विभाग				
		पूंजीगत	४,७६,२१५		४,७६,२१५
	योग :	राजस्व	५,५२,३६,५४,६७६	**२५,१७,७४४**	५,५२,६१,७२,४२०
		पूंजीगत	५,५८,८४,९९०	**१०,२६,७३,२१,४७९**	१०,३२,३२,०६,४६९
	कुल योग :		५,५७,९५,३९,६६६	**१०,२६,९८,३९,२२३**	१५,८४,९३,७८,८८९

भोपाल, दिनांक 31 जनवरी 2014

क्र. 762-40-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक 2) अधिनियम, 2014 (क्रमांक 2 सन् 2014) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 2 OF 2014

THE MADHYA PRADESH APPROPRIATION (NO. 2) ACT, 2014

[Received the assent of the Governor on the 30th January, 2014 assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 31st January, 2014.]

An Act to provide for the authorization of appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh to meet the amounts spent on certain services during the financial year ended on the 31st day of the March, 2000 in excess of the amounts granted for those services and for that year.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-fourth year of the Republic of India as follows:

Short title

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Appropriation (No. 2) Act, 2014.

Issue of Rs. 15,84,93,78,889 out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh to meet certain excess expenditure for the year ended on 31st March, 2000.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh the sums specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sum of Rs. One thousand five hundred eighty four crores ninety three lakhs seventy eight thousand eight hundred and eighty nine shall be deemed to have been authorised to be paid and applied to meet the amount spent on defraying the charges in respect of the services specified in column (2) of the said Schedle during the financial year ended on the 31st day of March, 2000 in excess of the amounts granted for those services and for that year.

Appropriation

3. The sums deemed to have been authorized to be paid and applied from and out of the Consolidated fund of the State of Madhya Pradesh under this Act shall be deemed to have been appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the financial year ended on the 31st day of March, 2000.

THE SCHEDULE

(*See* Section 2 and 3)

(1) Number of Vote	(2) Services and purposes		(3) Excess		
			Voted	Charged	Total
			Rs.	**Rs.**	Rs.
Public Debt	Finance				
		Capital	-	**10,26,69,46,124**	10,26,69,46,124
3	Police				
		Capital	99,34,000	**0**	99,34,000

(1)	(2)		(3)		
			Rs.	**Rs.**	Rs.
6	Finance	Revenue	-	**15,92,691**	15,92,691
14	Animal Husbandry	Revenue	21,42,465	**0**	21,42,465
21	Housing and Environment	Capital	-	**3,75,355**	3,75,355
23	Water Resources	Revenue	-	**73,235**	73,235
23	Water Resources	Capital	4,43,01,542	**0**	4,43,01,542
24	Public Work R &B	Revenue	-	**8,37,164**	8,37,164
27	School Education	Revenue	4,53,49,26,119	**0**	4,53,49,26,119
30	Panchayat and Rural Development	Revenue		**14,654**	14,654
44	Higher Education	Revenue	98,15,13,958	**0**	98,15,13,958
50	20 Point Implementation	Revenue	8,52,134	**0**	8,52,134
59	Tenth Finance comm. School Education	Revenue	42,20,000	**0**	42,20,000
60	District Plan Scheme	Capital	39,787	**0**	39,787
69	Urban Administration and Development-Urban Welfare	Capital	1,60,000	**0**	1,60,000
75	Tenth Finance Comm. Jail	Capital	9,73,446	**0**	9,73,446
89	Public Work	Capital	4,76,215	**0**	4,76,215
	Total ..	Revenue ..	5,52,36,54,676	**25,17,744**	5,52,61,72,420
		Capital ..	5,58,84,990	**10,26,73,21,479**	10,32,32,06,469
	Grand Total ..		5,57,95,39,666	**10,26,98,39,223**	15,84,93,78,889

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.